बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड,पटना
Bihar State Power (Holding) Company Limited
(निबंधित कार्यालयः विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)
(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
TINVAT No.10011255025 CIN- U40102BR2012SGC018495
Website:- WWW.bsphcl.bih.nic.in
(Department of HR & Administration)

का0 आ0 संख्या– **H-II/Prom.-Misc.-3005/17**574 दिनांक 29-03-/18

बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–10878 दिनांक 24.08.2017 द्वारा दिनांक 07.05.2012 के पूर्व हिन्दी विधापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों के आधार पर दिनांक 07.05.2012 से अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि 08.04.2016 के बीच की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति के संबंध में निम्नांकित निर्णय संसूचित किये गये हैं–

" हिन्दी विधापीठ, देवघर द्वारा दिनांक 07.05.2012 से पूर्व प्रदत्त उपाधियों के आधार पर दिनांक 07.05.2012 से अधिसूचना ज्ञापांक–5267 दिनांक 08.04.2016 निर्गत होने के बीच (अर्थात् दिनांक 08.04.2016 तक) की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति उक्त अधिसूचना से अप्रभावित रहेगी। परन्तु दिनांक–08.04.2016 के पश्चात् उक्त उपाधियों के आधार पर कोई नियुक्ति/प्रोन्नति नहीं की जा सकेगी।"

उपरोक्त निर्णय से पूर्व बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–5267 दिनांक–08.04.2016 द्वारा अधिसूचित निर्देशों के आलोक में दिनांक–07.05.2012 से पूर्व हिन्दी विधापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधि (साहित्यालंकार) धारक कर्मचारियों, जो दिनांक 08.04.2016 के पूर्व तक में हीं नियुक्त हैं को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा उनके संवर्ग में विभिन्न पदों पर प्रोन्नति प्रदान की गई। उक्त उपाधि के आधार पर दिनांक 08.04.2016 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई है।

उक्त प्रोन्नति के विरूद्ध एक परिवादी द्वारा परिवाद समर्पित किया गया है कि बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–10878 दिनांक–24.08.2017 द्वारा हिन्दी विधापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों के आधार पर दिनांक–08.04.2016 के प्रभाव से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई है परन्तु बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक–08.04.2016 के बाद भी लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को विभिन्न पदों पर प्रोन्नति प्रदान की गई है।

मामले की समीक्षा के क्रम में पटना उच्च न्यायालय, पटना के वरीय अधिवक्ता–सह–कम्पनी के स्थायी समुपदेशक का मंतव्य प्राप्त किया गया जो निम्नवत् है–

(क) दिनांक–07.05.2012 से पूर्व हिन्दी विधापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधियों के आधार पर जो नियुक्ति हुई और इसके क्रम में दी गई प्रोन्नति चाहे वह दिनांक–08.04.2016 के पूर्व हो अथवा बाद में दी जाये इसमें कोई वैधानिक बाधा नहीं है यदि जिस शैक्षणिक डिग्री के आधार पर नियुक्ति हुई है उसी पर प्रोन्नति दी जा रही हो।

(ख) दिनांक–08.04.2016 के बाद हिन्दी विधापीठ, देवघर के द्वारा प्रदत्त उपाधियों के आधार पर किसी भी पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(ग) दिनांक–07.05.2012 से पूर्व के उपाधियों के आधार पर हुई नियुक्ति के मामलो में प्रोन्नति दिनांक–08.04.2016 के बाद भी दिया जा सकता है।

मामले की समीक्षा के क्रम में यह तथ्य पाया गया कि लिपिकीय संवर्ग एवं अन्य संवर्ग, जिनमें प्रवेशस्तरीय पद पर नियुक्ति के लिए देवघर विद्यापीठ से प्रदत्त उपाधि मान्य थी के कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाने के उपरान्त अपने संवर्ग में उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु 'शैक्षणिक योग्यता' आधार नहीं है बल्कि प्रोन्नति वरीयता सूची के आधार पर दी जाती है। लिपिकीय संवर्ग सहित वैसे संवर्गो में निम्नांकित 'अर्हता एवं शर्तें' पूरी रहने के आधार पर ही विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उन्हें उच्चतर पद पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जाता है–

(i) प्रोन्नति के पद का उपलब्ध रिक्ति

(ii) वरीयता सूची

(iii) निर्धारित कालावधि

(iv) विभागीय परीक्षा की उतीर्णता

(v) वार्षिक चारित्री सार / कार्य आचरण प्रमाण–पत्र

(vi) स्वच्छता / आरोप रहित प्रमाण–पत्र

अतएव एतद द्वारा, उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है:–

(1) लिपिकीय संवर्ग में जो भी नियुक्तियाँ दिनांक 07.05.2012 के पूर्व हिन्दी विधापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधियों के आधार पर दिनांक 08.04.2016 तक हुई है, उनकी नियुक्ति मान्य है।

(2) दिनांक 07.05.2012 के पूर्व हिन्दी विधापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधियों के आधार पर दिनांक 08.04.2016 तक नियुक्त कर्मचारियों को प्रोन्नति हेतु उपर वर्णित अर्हताओं के आधार पर जो प्रोन्नतियाँ वर्ष 2016–2017 तक दी गई है, वो प्रोन्नति मान्य है, क्योंकि प्रोन्नति की प्रक्रिया में स्नातक शैक्षणिक योग्यता कोई अर्हता नहीं है।

(3) उपर्युक्त कंडिका–2 के आलोक में दिनांक–07.05.2012 के पूर्व हिन्दी विधापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधियों के आधार पर लिपिकीय संवर्ग तथा भंडार संवर्ग के कर्मचारियों को अपने संवर्ग में दिनांक 08.04.2016 के पश्चात् भी प्रोन्नति दी जा सकेगी।

ह0 / –
(राजू रंजन द्विवेदी)
अवर सचिव

ज्ञापांक –

दिनांक –

प्रतिलिपि–सभी महाप्रबन्धक (मा0सं0 / प्रशा0) / सभी महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) / सभी उप महाप्रबन्धक (मा0सं0 / प्रशा0) / सभी उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) / विधि सलाहकार / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव / कम्पनी सचिव / सभी वरीय प्रबंधक(वित्त एवं लेखा) / सभी लेखा पदाधिकारी / सहायक कार्मिक पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(राजू रंजन द्विवेदी)
अवर सचिव

ज्ञापांक –

दिनांक –

प्रतिलिपि– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी / तक0 सचिव / प्रधान आप्त सचिव / निदेशक (प्रशा0) के प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(राजू रंजन द्विवेदी)
अवर सचिव

ज्ञापांक – 389

दिनांक – 29.3.18

प्रतिलिपि– उप महाप्रबन्धक (आई0 टी0), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इस आदेश को बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के बेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

28/3/18

(राजू रंजन द्विवेदी)
अवर सचिव